In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 982/ 2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 982/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(i) after S.No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Supply of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap	Central Government, State Government, Union territory or a local authority	Any registered person

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary

DT:/GST Notification/ Amendment in noti.no. 515(24-10-2017)

7

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 984/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादूनः दिनांकः 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

   (i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं0	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रैप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति"

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 982 /2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव